न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 03/2012

प्रार्थीः–

1. वेनाराम पुत्र फुआराम
2. दूदाराम पुत्र फुआराम
3. दीपाराम पुत्र फुआराम जातिगण मीणा निवासीगण सिंचाणा तहसील मारवाड़ जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. गिरधारी पुत्र शेरा जाति मेघवाल निवासी सिंचाणा
2. मेगाराम पुत्र गोमाराम जाति मेघवाल निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर
3. सूरजपालसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी सिंचाणा तहसील मारवाड़ जंक्शन
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 3
3. सरकारी पैरोकार, अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–28/3/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड का तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिंचाणा के खसरा नम्बर 145, 147, 148, 149 व 273 की भूमि का दिनांक 02.05.1976 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किया। जबकि उक्त भूमि पर गत 55–60 वर्षो से प्रार्थीगण एवं उनके पिता का कब्जा काश्त था। प्रार्थीगण को उक्त भूमि से कभी भी बेदखल नहीं किया गया। इस कारण वक्त आवंटन उक्त भूमि खाली नहीं होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आंवटन की गई है। उक्त भूमि पर वक्त आवंटन भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त था, जिसे पटवारी हल्का द्वारा न तो प्रार्थीगण को कब्जा हटाने बाबत कोई सूचना दी तथा न ही आवंटन समिति को उक्त तथ्य से अवगत करवाया कि उपरोक्त भूमि अतिक्रमित

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

भूमि है। आवंटन के पश्चात भी आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही राजस्व अधिकारीयों/कार्मिकों द्वारा प्रार्थीगण को उनके कब्जे से बेदखल कर अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किया। आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 से न तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया एवं न ही अप्रार्थी भूमिहीन था। आवंटन समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना कोई जांच किये आक्षेपित आदेश के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर दिया, जो आवंटन शर्तो के प्रतिकूल है। उक्त समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा सम्पादित करवाई है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से आम मुख्तियार नामा प्राप्त कर उक्त भूमि हडपने हेतु आमादा है। चूंकि उक्त भूमि आंवटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, इस कारण प्रथम स्टेज पर ही प्रक्रिया दूषित करते हुए प्रश्नगत आवंटन आदेश जारी किया गया, जिसमें आवंटन की कब्जा काश्त ही नहीं रहा। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिन खसरा नमबर एवं रकबा का उल्लेख किया है, उक्त भूमि का तो अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन ही नहीं हुआ। आंवटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 02.05.1976 में कमेटी द्वारा 100 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया। कमेटी के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में क्रम संख्या 26 पर अप्रार्थी संख्या 1 को किये गये आवंटन का इन्द्राज है। जिसमें खसरा नम्बर 145, 147, 184, 273 में से भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। आवंटित भूमि में से खसरा नमबर 273 को सिंचाई विभाग की आवश्यकता होने से वापस लिया गया तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 84 के सिंचाई विभाग के नाम दर्ज किया गया। आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से आवंटी का कब्जा काश्त रहा है। इसके पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया, जिस पर वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त है, जिसकी खसरा गिरदावरी आदि हमने प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण स्वयं यह मानते है कि वे अतिक्रमी है तथा कानूनन अतिक्रमी को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा न ही अतिक्रमी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीयता के अभाव में खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी कारित करने का प्रयास किया, तो पुलिस में मुकद्दमा दर्ज हुआ, जिसमें चालान भी हुआ है। प्रार्थीगण आवंटन के 50 वर्षो पश्चात इस प्रार्थना पत्र के जरिये आवंटन को खारिज कराने का अनुतोष चाहते है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में आर0बी0जे0 1995 (2) पेज 780, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 926, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1194, आर0आर0टी0

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

2006 (2) पेज 1171, आर0डी0आर0 1973 पेज 801, आर0आर0डी0 1992 पेज 266, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1378, आर0आर0डी0 1994 पेज 381, आर0आर0डी0 1994 पेज 82, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 999, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 तथा आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1443 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू राजस्व 1956 के नियम 101 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ सिवायचक भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा ग्राम सिंचाणा के खसरा नम्बर 145, 147, 148, 273 किस्म बा0दो0 में से भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया। जिस पर भू आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन को इस आधार पर निरस्त कराने का अनुतोष चाहा कि जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि पर वक्त आवंटन प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि को लेकर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजों द्वारा आवंटन/नियमन हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, ऐसे तथ्य भी रेकर्ड पर नही है तथा न ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। वर्ष 1976 में गिरधारी को आवंटन किया जा चुका था एवं कब्जा भी सुपुर्द किये जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर गेर खातेदार इन्द्राज किया गया तथा आवंटन नियमों की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात सिलसिलेवार अन्तरित होकर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बतौर खातेदार दर्ज की गई। आर0आर0डी0 1986 पेज 137 में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उसे प्रदत्त किये गये है, जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जा सकेगा। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upen the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the

अति० जिला कलेक्टर, पाली

Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 42 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है। वादस्थ भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने के कारण उसके गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है तथा उसके पश्चात उसके द्वारा भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय किया गया है, जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 वादस्थ भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में खसरा गिरदावरियों की प्रतियां प्रस्तुत की है, जिसमें काश्त दर्ज है। इस कारण प्रार्थी के इस तथ्य में कतई बल नहीं है, कि जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त न होकर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हो। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है तथा आवंटन कमेटी की आज्ञानुसार ग्राम ग्राम सिंचाणा के खसरा नम्बर 145, 147, 148, 273 किस्म बा0दो0 में से दिनांक 02.05.1976 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ तहसीलदार मारवाड जंक्शन को मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली